

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

दिनांक: 9 अगस्त, 2017

क्रमांक: प.11(28)वित्त/आब/2016


आदेश

राजस्थान आबकारी सेवा (निवारक शाखा अधिकारी) नियम, 1967 के नियम 15 के अधीन गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर वर्ष 2016-17 की रिक्तियों के विरुद्ध श्री त्रिलोकी पालीवाल, सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल को आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल के पद पर पे-बैंड 15600-39100(पीबी-3), ग्रेड-पे 6000/- में स्थानापन्न रूप से एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है।

श्री त्रिलोकी पालीवाल का पदस्थापन आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, बीकानेर के पद पर किया जाता है। संबंधित अधिकारी पदोन्नत पद पर अविलंब कार्य ग्रहण कर पालना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।


श्री त्रिलोकी पालीवाल की आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल के पद पर वरिष्ठता श्री लालाराम रैगर (एस.सी.) (पदोन्नति वर्ष 2016-17) के नीचे तथा श्री गोपाल दीक्षित (पदोन्नति वर्ष 2016-17) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

आज्ञा से,


(हृदयेश कुमार जुनेजा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)/कार्मिक विभाग।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
7. संबंधित जिला कलक्टर।
8. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त आदेश वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।
9. श्री त्रिलोकी पालीवाल की आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल द्वारा आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव